।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक दिनांक 30.07.2019 का कार्यवाही विवरण::

राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1958 के संशोधित नियम 1994 के नियम 2 (एफ) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक **दिनांक 30.07.2019 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर** की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

1.	**श्री विक्रम सिंह,** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य**
2.	**श्री विकास कुमार,** उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर।	**सदस्य**
3.	**श्री कैलाश चन्द,** उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य**
4.	**श्री सत्यपाल जांगिड़,** सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य**

समिति द्वारा 47 बंदियों के स्थाई पैरोल प्रकरणों पर विचार किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **स्वीकृत प्रकरणों का विवरण**

1. **जगदीश चन्द्र पुत्र रतनलाल, जाति–जाट, निवासी–मुगांणा, पुलिस थाना–कपासन, जिला–चित्तौड़गढ़ (बं.खु.शि. चित्तौड़गढ़):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) चित्तौड़गढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 25/05 अंतर्गत धारा 302, 201, 380, 379 आई.पी.सी. एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 03.10.2006 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 04 माह 05 दिवस की सज़ा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 03 माह 03 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ एवं समाज कल्याण विभाग, चित्तौड़गढ़ से अप्राप्त अभिमत चाहे जा रहे थे। प्रकरण में बैठक तिथि तक जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ एवं समाज कल्याण विभाग, चित्तौड़गढ़ के अभिमत प्राप्त हुये है।

जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ़ ने बंदी को स्थाई पैरोल पर छोड़े जाने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है तथा बंदी को स्थाई पैरोल पर छोड़े जाने हेतु लिखा है। परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, चित्तौड़गढ़ ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अभिशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 25.07.2016 से निरंतर खुला बंदी शिविर में संतोषप्रद आचरण से सजा भुगतने एवं पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान अच्छे आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश चन्द्र पुत्र रतनलाल** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलका प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

2. **रामप्रसाद पुत्र हरलाल, जाति–मीणा, निवासी–तेलियाखेड़ी, पुलिस थाना–असनावर, जिला–झालावाड़ (बं.खु.शि. कोटा) :–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक नं. 1 झालावाड़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 36/2005 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 26.04.2005 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 05 माह 23 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 03 वर्ष 03 माह 01 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल पैरोल रिट पिटीशन संख्या 5152/2010 सूरजगिरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2010 में माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि "स्थाई पैरोल संबंधी नियम 1958 के प्रावधानों के अनुरूप जिन याचिकार्थियों/बंदियों ने स्थाई पैरोल के लिये आवश्यक सजा भुगत ली है एवं स्थाई पैरोल पर छोड़े जाने हेतु पात्रता रखते है, उनके मामलें प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारित किया जावें। यदि विचारोपरांत ऐसे याचिकार्थी/ऐसे बंदी नियमानुसार स्थाई पैरोल के पात्र पाये जाये, तो उन्हें स्थाई पैरोल पर छोड़ दिया

जावें। इनके मामलों पर विचार करते समय इस तथ्य को नजरंदाज किया जावें कि उन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय या इनमें से किसी भी पैरोल का लाभ प्राप्त किया है अथवा नहीं।'' किंतु ''इस आदेश का उन बंदियों के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जिनके उपरोक्त तीनों में से कोई पैरोल प्रार्थना–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये गये है। ऐसे व्यक्ति की स्थाई पैरोल पर छोड़ने की प्रार्थना उसके अपने मामलें के गुणावगुण पर विचारित की जावें।''

दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, झालावाड़ से अप्राप्त अभिमत चाहा जा रहा था, जो प्राप्त हो चुका है।

जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़, जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ एवं परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड़ ने बंदी का पुत्रों से झगड़ा होने की संभावना व्यक्त कर उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा नहीं की है, किंतु इस संबंध में कोई तथ्य प्रेषित नहीं किये गये है।

बंदी दिनांक 13.10.2015 से निरंतर बंदी खुला शिविर में संतोषप्रद आचरण के साथ सजा भुगत रहा है तथा अधीक्षक जेल ने भी बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी रामप्रसाद पुत्र हरलाल** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

3. **फेफा देवी उर्फ पदमा देवी पत्नी भंवरलाल, जाति–घांची, निवासी–बापू नगर, पुलिस थाना–प्रतापनगर, जिला–भीलवाड़ा (बं.खु.शि. सांगानेर) :–** महिला बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 01, भीलवाड़ा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 109/2003 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 03.03.2005 को दण्डित किया गया है। महिला बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 08 माह 08 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 03 वर्ष 04 माह 13 दिवस का परिहार अर्जित किया है। महिला बंदी के नियमित पैरोल प्रकरण के निस्तारण के संबंध में सजाभिलेख में कोई अंकन नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल पैरोल रिट पिटीशन संख्या 5152/2010 सूरजगिरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2010 में माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि "स्थाई पैरोल संबंधी नियम 1958 के प्रावधानों के अनुरूप जिन याचिकार्थियों/ बंदियों ने स्थाई पैरोल के लिये आवश्यक सजा भुगत ली है एवं स्थाई पैरोल पर छोड़े जाने हेतु पात्रता रखते है, उनके मामलें प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारित किया जावें। यदि विचारोपरांत ऐसे याचिकार्थी/ऐसे बंदी नियमानुसार स्थाई पैरोल के पात्र पाये जाये, तो उन्हें स्थाई पैरोल पर छोड़ दिया जावें। इनके मामलें पर विचार करते समय इस तथ्य को नजरंदाज किया जावें कि उन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय या इनमें से किसी भी पैरोल का लाभ प्राप्त किया है अथवा नहीं।" किंतु "इस आदेश का उन बंदियों के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जिनके उपरोक्त तीनों में से कोई पैरोल प्रार्थना–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये गये है। ऐसे व्यक्ति की स्थाई पैरोल पर छोड़ने की प्रार्थना उसके अपने मामलें के गुणावगुण पर विचारित की जावें।"

दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, भीलवाड़ा से अप्राप्त अभिमत चाहा जा रहा था, जो प्राप्त हो चुका है।

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा, जिला पुलिस अधीक्षक, पाली ने महिला बंदी द्वारा अपने पति की हत्या किये जाने एवं प्रकरण में बंदी की पुत्री श्रीमती सविता, जो प्रकरण में एकमात्र चश्मदीद गवाह होने व उसी के बयानों के आधार पर बंदी को सजा होने से सविता को जान–माल का खतरा होने की संभावना व्यक्त कर महिला बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाना उचित नहीं बताया है, किंतु इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा ने महिला बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाना उचित बताया है। महिला बंदी दिनांक 14.03.2015 से निरंतर बंदी खुला शिविर में संतोषप्रद आचरण के साथ सजा भुगत रही है तथा अधीक्षक जेल ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **महिला बंदी फेफा देवी उर्फ पदमा देवी पत्नी भंवरलाल** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

4. **शहजाद हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद, जाति–मुसलमान, निवासी–स्टेट बैंक के पास, बनेड़ा, पुलिस थाना–बनेड़ा जिला–भीलवाड़ा (बं.खु.शि. सांगानेर) :–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) संख्या 01 भीलवाड़ा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 109/2003 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 03.03.2005 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 15 वर्ष 01 माह 29 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 03 वर्ष 01 माह का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 06 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर समिति द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, भीलवाड़ा से अप्राप्त अभिमत चाहा जा रहा था, जो प्राप्त हो चुका है।

सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एव अधेकारिता विभाग, भीलवाड़ा ने पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण शांतिपूर्ण बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अभिशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 27.01.2014 से निरंतर खुला बंदी शिविर में संतोषप्रद आचरण एवं पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान शिकायतरहित आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है तथा राज्य सरकार की परामर्शी दिनांक 16.06.2016 के तहत जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक के अभिमत प्रेषित नहीं किये गये है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी शहजाद हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

5. **कुशाल उर्फ खुशाल पुत्र भब्बल उर्फ रूज्जदार, जाति–मेव, निवासी–गाडपुर, पुलिस थाना–भिवाड़ी, जिला–अलवर (बं.खु.शि. अलवर):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) किशनगढ़बास (अलवर) द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 70/2001 अंतर्गत धारा 302, 307, 452 आई.पी.सी. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 18.10.2007 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 11 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 04 माह 17 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 07 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर तथा परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, अलवर ने बंदी का पूर्व नियमित पैरोल के दौरान आचरण संतोषजनक/अच्छा बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने

की अनुशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 08.08.2014 से निरंतर बंदी खुला शिविर में संतोषप्रद आचरण एवं पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान शिकायतरहित आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी कुशाल उर्फ खुशाल पुत्र भब्बल उर्फ रूज्जदार** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

6. **प्रहलाद पुत्र मोहनलाल, जाति–जाट, निवासी–नागवा, पुलिस थाना–सदर सीकर, जिला–सीकर (बं.खु.शि.सीकर):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 82/2005 अंतर्गत धारा 148, 427, 323/149, 325/149, 452, 302/149 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 26.08.2011 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 29 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 07 माह 02 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 05 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने से पीड़ित पक्ष से बंदी को तथा पीड़ित पक्ष को बंदी से खतरा होने व बंदी द्वारा कोई घटना कारित करने की संभावना व्यक्त कर उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा नहीं की है किंतु उनके द्वारा इस संबंध में कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है तथा उनके द्वारा पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण सामान्य बताया है।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सीकर ने पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण अच्छा बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अभिशंसा की है। उप अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 11.10.2014 से निरंतर बंदी खुला शिविर में निरूद्ध होने एवं संतोषप्रद आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी प्रहलाद पुत्र मोहनलाल** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

7. **अरविन्द कुमार उर्फ नेमीचन्द पुत्र सुरजाराम उर्फ सुरजमल, जाति–जाट, निवासी–रहनावा, पुलिस थाना–लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (बं.खु.शि. सीकर):–** बंदी को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 72/1989 अंतर्गत धारा 302, 148,

448 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 16.11.1990 (प्रभावी दि. 06.12.2006) को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 01 माह 03 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 06 माह 05 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 04 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर, जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर एवं जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, सीकर ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 05.08.2014 से निरंतर बंदी खुला शिविर में सजा भुगतने एवं संतोषप्रद आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी अरविन्द कुमार उर्फ नेमीचन्द पुत्र सुरजाराम उर्फ सुरजमल** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

8. **ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–पांचला सिद्धा, पुलिस थाना–खींवसर, जिला–नागौर (बं.खु.शि. बाडमेर):–** बंदी को माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 43/1992 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 18.09.1993 (प्रभावी दिनांक 13.02.2012) को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 03 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 03 वर्ष 06 माह 05 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 04 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, नागौर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर ने भी पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण शांतिपूर्ण बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है। उप अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 29.09.2014 से निरंतर बंदी खुला शिविर में सजा भुगतने एवं संतोषप्रद आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें

एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

9. **भारती सिंह पुत्र जगमाल सिंह, जाति–नायक, निवासी–इण्डियन ऑयल टंकियों के पास, पुलिस थाना–सदर, जिला–बीकानेर (बं.खु.शि. बीछवाल)**:–बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 2 बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 97/2003 अंतर्गत धारा 302/34, 450 आई.पी.सी. में दिनांक 15.09.2008 (पूर्व में 04.08.2004) को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 03 बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 747/2005 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 21.12.2013 को 01 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 16 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 06 माह 01 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 04 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण ठीक बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है एवं उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर ने भी पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण सामान्य बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अभिशंसा की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 02.08.2014 से निरंतर बंदी खुला शिविर में सजा भुगतने तथा संतोषप्रद आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी भारती सिंह पुत्र जगमाल सिंह** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

10. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र रतीराम जाट, जाति–जाट, निवासी–सूरावली, पुलिस थाना–गोलूवाला, जिला–हनुमानगढ़ (बं.खु.शि.बेलासर) :– बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) हनुमानगढ़ के सैशन प्रकरण संख्या 27/2003 अंतर्गत धारा 302, 201 आई.पी.सी. में दिनांक 10.09.2003 को आजीवन कारावास।

2. बंदी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, पीलीबंगा के प्रकरण संख्या 19/2001 अंतर्गत धारा 325/34, 324/34, 323/34 आई.पी.सी. में न्यायालय उठने तक की सजा।

बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 16 वर्ष 05 माह 29 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 04 माह 15 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति, हनुमानगढ़ द्वारा अस्वीकृत करने से नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल पैरोल रिट पिटीशन संख्या 5152/2010 सूरजगिरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2010 में माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि ''स्थाई पैरोल संबंधी नियम 1958 के प्रावधानों के अनुरूप जिन याचिकार्थियों/बंदियों ने स्थाई पैरोल के लिये आवश्यक सजा भुगत ली है एवं स्थाई पैरोल पर छोड़े जाने हेतु पात्रता रखते है, उनके मामलें प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारित किया जावें। यदि विचारोपरांत ऐसे याचिकार्थी/ऐसे बंदी नियमानुसार स्थाई पैरोल के पात्र पाये जाये, तो उन्हें स्थाई पैरोल पर छोड़ दिया जावें। इनके मामलों पर विचार करते समय इस तथ्य को नजरंदाज किया जावें कि उन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय या इनमें से किसी भी पैरोल का लाभ प्राप्त किया है अथवा नहीं।'' किंतु ''इस आदेश का उन बंदियों के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जिनके उपरोक्त तीनों में से कोई पैरोल प्रार्थना–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये गये है। ऐसे व्यक्ति की स्थाई पैरोल पर छोड़ने की प्रार्थना उसके अपने मामलें के गुणावगुण पर विचारित की जावें।''

पूर्व में दिनांक 18.12.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया गया था, जिसमें पूर्व में बंदी के बंदी खुला शिविर, गोलूवाला (हनुमानगढ़) में सजा भुगतने के दौरान दिनांक 05.04.2017 को रात्रि में गौशाला की गायों का बाड़ा खोल दिये जाने पर गायें गोबर गैस प्लांट में गिर गई, जिसके कारण गौधन की मृत्यु भी हो सकती थी तथा गौवंश की मृत्यु की स्थिति में क्षेत्र में जन आक्रोश

फैलाने की आशंका के कारण तथा बंदी द्वारा अपना नियत कार्य नहीं करने एवं अवांछनीय पाये जाने के कारण जेल दाखिल कराया गया था तथा अधीक्षक जेल द्वारा बंदी के जेल उद्योगशाला से अधिकांशतः अनुपस्थित रहने आदि के कारण बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा नहीं किये जाने की प्रवंदना को ध्यान में रखते हुए स्थाई पैरोल पर रिहा नहीं करने की अनुशंसा की गई थी, जिस पर राज्य सरकार ने उनके पत्रांक प. 7 (87) गृह–12/कारा/2018 दिनांक 24.01.2019 द्वारा बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करना उचित नहीं माना।

जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ तथा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के वर्तमान में आचरण संतोषप्रद होने एवं दिनांक 05.05.2019 से निरंतर बंदी खुला शिविर, बेलासर में सजा भुगतने से उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है। बंदी द्वारा 16 वर्ष से अधिक सजावधि कारागृह में व्यतीत की जा चुकी है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र रतीराम** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

11. **रोताश पुत्र ताराचन्द, जाति–जाट, निवासी–धींधवा बिचला, पुलिस थाना–सूरजगढ़ (पिलानी), जिला–झुंझुनू (ब.खु.शि. झुंझुनू):–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश नीमकाथाना, जिला झुंझुनू द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 03/1997 अंतर्गत धारा 302/34, 323 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 02.12.1999 (प्रभावी दिनांक 10.11.2005) को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 02 माह 04 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 04 वर्ष 09 माह 27 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 07 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू एवं सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुंझुनू ने पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण शांतिपूर्ण बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है, जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू ने जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू एवं सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुंझुनू की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त कर बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करना उचित बताया है। उप अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 29.07.2014 से निरंतर बंदी खुला शिविर में सजा भुगतने तथा संतोषप्रद आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी रोताश पुत्र ताराचन्द** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

12. रामनिवास पुत्र महेन्द्रसिंह, जाति–जाट, निवासी–भनाई, पुलिस थाना–भादरा, जिला–हनुमानगढ़ (बं.खु.शि. श्रीगंगानगर) :– बंदी को माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भादरा (हनुमानगढ़) द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 09/2011 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 09.11.2012 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 08 वर्ष 03 माह 06 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 01 माह 29 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ तथा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ ने पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण अच्छा/सामान्य बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा किये जाने की अनुशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 04.02.2019 से निरंतर बंदी खुला शिविर में सजा भुगतने तथा संतोषप्रद आचरण को ध्यान में रखते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी रामनिवास पुत्र महेन्द्रसिंह** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

13. सुमन कुमार पुत्र किशनलाल, जाति–जाटव, निवासी–मकान नं. 20 मीरानगर हरीसभा आश्रम के पास, झालामण्ड चौराहा, पुलिस थाना–बासनी, जिला–जोधपुर, (बं.खु.शि. मण्डोर):– बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 01, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 157/2005 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 31.08.2006 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 01 माह 09 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 08 माह 04 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 04 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर ने बंदी द्वारा शांतिपूर्वक नियमित पैरोल का उपभोग करने के फलस्वरूप उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 30.06.2014 से

निरंतर बंदी खुला शिविर में सजा भुगतने एवं आचरण संतोषप्रद होने से उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है तथा राज्य सरकार की परामर्शी दिनांक 16.06.2016 के तहत जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक के अभिमत प्रेषित नहीं किये गये है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी सुमन कुमार पुत्र किशनलाल** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

14. **खुशीराम पुत्र लौहरेराम, जाति–जाट, निवासी–बानकी, हाल–गोपाल टॉकीज के पास हनुमान कॉलोनी, हिण्डौन सिटी पुलिस थाना–हिण्डौन सिटी, जिला–करौली (बं.खु.शि. सांगानेर):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), करौली द्वारा प्रकरण संख्या 61/2006 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 19.10.2006 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 02 माह 23 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 09 माह 26 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 05 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली ने पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण सामान्य बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 30.06.2014 से निरंतर बंदी खुला शिविर में सजा भुगतने एवं आचरण संतोषप्रद होने से उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है तथा राज्य सरकार की परामर्शी दिनांक 16.06.2016 के तहत जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्रेषित नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी खुशीराम पुत्र लौहरेराम** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

15. **रनवीरसिंह पुत्र हरख्यालसिंह, जाति–जाट, निवासी–अजान, पुलिस थाना–उद्योग नगर, जिला–भरतपुर (बं.खु.शि. भरतपुर):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्र.सं. 1, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 09/2001 अंतर्गत धारा 307/149, 302/149 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 08.04.2003 (प्रभावी दिनांक 10.10.2013) को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 01 माह 08 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है

तथा 02 वर्ष 10 माह 28 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 04 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने बंदी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किये जाने एवं पीड़ित पक्ष में बदले की भावना पैदा होने की संभावना व्यक्त कर बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा नहीं की है, जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त कर उसे स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाना उचित नहीं बताया है, जो उचित नहीं है। जबकि उनके द्वारा बंदी के पूर्व में 04 नियमित पैरोल के दौरान उसका आचरण भी सामान्य बताया है तथा पीड़ित पक्ष की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही।

परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर ने पूर्व में नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण शांतिपूर्ण बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा की है। अधीक्षक जेल ने बंदी के दिनांक 29.06.2014 से निरंतर बंदी खुला शिविर में सजा भुगतने तथा आचरण संतोषप्रद होने से उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी रनवीरसिंह पुत्र हरख्यालसिंह** को 50,000–50,000/– (अक्षरे रूपये पचास–पचास हजार मात्र) की दो जमानतें एवं 50,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का निजी मुचलकां प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा करती है।

<u>अस्वीकृत प्रकरणों का विवरणः–</u>

1. **पूरसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति–गुर्जर, निवासी–पचपहाड़, पुलिस थाना–भवानीमण्डी, जिला–झालावाड़ (के.का. कोटा):** – बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नं. 1, झालावाड़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 14/2005 अंतर्गत धारा 302/34, 364 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 17.05.2005 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 09 माह 05 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 09 माह 16 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 06 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ ने पूर्व में नियमित पैरोल (दिनांक 13.06.2012 से 22.07.2014) के दौरान बंदी व अन्य मुल्जिम द्वारा षड्यंत्र रचकर 10–10 लाख रूपये की मांग करने पर पर अन्य प्रकरण दर्ज होने एवं बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने पुनः अपराध करने की संभावना बताते हुए उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा नहीं की

है तथा बंदी के विरूद्ध 08 प्रकरण दर्ज होना बताये गये है। जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ ने जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त कर बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः बंदी की अपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी पूरसिंह पुत्र देवीसिंह** को स्थाई पैरोल पर रिहा नहीं करने की अनुशंसा करती है।

2. **राजेश पुत्र मांगीलाल, जाति—लुहार, निवासी—सुभाष कॉलोनी, रामगंजमण्डी, पुलिस थाना—रामगंजमण्डी, जिला—कोटा (के.का. कोटा)** :— बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :—

1. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी, जिला कोटा के सेशन प्रकरण संख्या 25/2005 अंतर्गत धारा 302, 341, 323 आई.पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 26.04.2007 को आजीवन कारावास।
2. माननीय ए.सी.जे.एम. कोटा के प्रकरण संख्या 331/2015 अंतर्गत धारा 8/20 एन. डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 07.02.2017 को 01 वर्ष कठोर कारावास।

बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 06 माह 03 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 07 माह 10 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी का नियमित पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र जिला पैरोल समिति, कोटा द्वारा अस्वीकृत किये जाने से बंदी द्वारा नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल पैरोल रिट पिटीशन संख्या 5152/2010 सूरजगिरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2010 में माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी है कि "स्थाई पैरोल संबंधी नियम 1958 के प्रावधानों के अनुरूप जिन याचिकार्थियों/बंदियों ने स्थाई पैरोल के लिये आवश्यक सजा भुगत ली है एवं स्थाई पैरोल पर छोड़े जाने हेतु पात्रता रखते है, उनके मामलें प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारित किया जावें। यदि विचारोपरांत ऐसे याचिकार्थी/ऐसे बंदी नियमानुसार स्थाई पैरोल के पात्र पाये जाये, तो उन्हें स्थाई पैरोल पर छोड़ दिया जावें। इनके मामलों पर विचार करते समय इस तथ्य को नजरंदाज किया जावें कि उन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय या इनमें से किसी भी पैरोल का लाभ प्राप्त किया है अथवा नहीं।" किंतु "इस आदेश का उन बंदियों के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जिनके उपरोक्त तीनों में से कोई पैरोल प्रार्थना—पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये गये है। ऐसे व्यक्ति की स्थाई पैरोल पर छोड़ने की प्रार्थना उसके अपने मामलें के गुणावगुण पर विचारित की जावें।"

जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किये जाने से दोबारा पीड़ित पक्ष के साथ रंजिशवश कोई भी घटना कारित करने की संभावना व्यक्त कर उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ने जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण के अभिमत पर सहमति व्यक्त कर उसे स्थाई पैरोल पर रिहा करने की अनुशंसा नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी राजेश पुत्र मांगीलाल** को स्थाई पैरोल पर रिहा नहीं करने की अनुशंसा करती है।

3. **आनन्दसिंह उर्फ अणदसिंह पुत्र कल्याण सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–चेराई मिनों की ढ़ाणी, पुलिस थाना–ओसियां, जिला–जोधपुर (के.का. जोधपुर) :–** बंदी को माननीय सेशन न्यायाधीश, जोधपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 68/2014 अंतर्गत धारा 5(ड)/6 पोक्सो एक्ट 2012 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 27.09.2016 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 05 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 08 माह का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी द्वारा मात्र डेढ़–पौने दो साल अर्थात 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ उत्तेजित भेदन यौन हमला कारित किये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जो एक घिनौना कृत्य है। बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किये जाने से उसके पुनः अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है साथ ही बंदी की मानसिकता का भी पता नहीं लगाया जा सकता है।

अतः उक्त तथ्यों तथा बंदी की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी आनन्दसिंह उर्फ अणदसिंह पुत्र कल्याण सिंह** को स्थाई पैरोल पर रिहा नहीं करने की अनुशंसा करती है।

4. **शंकरलाल पुत्र किशनलाल, जाति–नाईक, निवासी–पाबूपुरा, पुलिस थाना–रातानाडा, जिला–जोधपुर (के.का. जोधपुर):–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं. 1, जोधपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 87/2005 अंतर्गत धारा 376 (2) (जी), 365, 366, 394 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 01.06.2005 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 02 माह 04 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 03 माह 08 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 07 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी द्वारा गैंगरेप जैसा घिनौना एवं जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा बंदी की वर्तमान में आयु भी 34 वर्ष ही है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति सर्वसम्मति से **बंदी शंकरलाल पुत्र किशनलाल** को स्थाई पैरोल पर रिहा नहीं करने की अनुशंसा करती है।

<u>अग्रेषित प्रकरणों का विवरणः–</u>

1. **चौथमल पुत्र किशोर मीणा, जाति–मीणा, निवासी–मोहनपुरा, पुलिस थाना–रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़ (के.का. उदयपुर)ः–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2, चित्तौड़गढ़ के सेशन प्रकरण संख्या 03/2013 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 07.10.2014 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 06 वर्ष 09 माह 06 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 07 माह 16 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ एवं समाज कल्याण विभाग, चित्तौड़गढ़ के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ एवं समाज कल्याण विभाग, चित्तौड़गढ़ के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, प्रकरण में समाज कल्याण विभाग, चित्तौड़गढ़ का अभिमत प्राप्त हो चुका है किंतु जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ एवं जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ के अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **चौथमल पुत्र किशोर मीणा** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ एवं जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ के अप्राप्त अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

2. **रामचन्द्र पुत्र रामलाल, जाति–नायक, निवासी–28 एम.एल., तहसील–रायसिंहनगर, जिला–श्रीगंगानगर, हाल–कमीनपुरा, तहसील–श्रीकरणपुर, पुलिस थाना–केसरीसिंहपुर, जिला–श्रीगंगानगर (बं.खु.शि. जैतसर)ः–**बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 11/2005 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 21.12.2005 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 03 माह 16 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 11 माह 12 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर, जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर एवं समाज कल्याण विभाग, श्रीगंगानगर के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर, जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर एवं समाज कल्याण विभाग, श्रीगंगानगर के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **रामचन्द्र पुत्र रामलाल** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर, जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर एवं समाज कल्याण विभाग, श्रीगंगानगर के अप्राप्त अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

3. **अकिल खान पुत्र भूरे खान, जाति–मेवाती, निवासी–नाहर सैयद दरगााह म.नं. 3, मंदसौर, पुलिस थाना–मंदसौर, जिला–मंदसौर (म.प्र.), हाल– हुसैन कॉलोनी भोपालपुरा मार्फत निजामुदीन चिश्ती का मकान, पुलिस थाना–कोतवाली, जिला–भीलवाड़ा (बं.खु.शि. टोंक)**:– बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाड़ा के सेशन प्रकरण संख्या 47/2005 के अंतर्गत धारा 147, 148, 302 आई.पी.सी. सपठित धारा 03 (2) (5) अ.जा./ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में आजीवन कारावास से दिनांक 20.02.2013 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 04 माह 04 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 03 माह 20 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा एक भी नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.) ने बंदी के स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में अनुशंसा नहीं की हैं, जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किये जाने पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक, मंदसौर (म.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, मंदसौर (म.प्र.) एवं भीलवाड़ा के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक, मंदसौर (म.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, मंदसौर (म.प्र.) एवं भीलवाड़ा के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **अकिल खान पुत्र भूरे खान** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा, जिला पुलिस अधीक्षक, मंदसौर (म.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, मंदसौर (म.प्र.) एवं भीलवाड़ा के अप्राप्त अभिमत अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

4. **जगदीश पुत्र बद्रीलाल, जाति–बंजारा, निवासी–सालापुरा, पुलिस थाना–छीपाबड़ौद, जिला–बारां (बं.खु.शि. कोटा) :–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक छबड़ा, जिला बारां के सेशन प्रकरण संख्या 39/2005 के अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 12.11.2005 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 09 माह 04 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 03 वर्ष 01 माह 01 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 05 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज कल्याण विभाग, बारां के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज कल्याण विभाग, बारां के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **जगदीश पुत्र बद्रीलाल** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज कल्याण विभाग, बारां के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

5. **विनोद पुत्र बुद्धू, जाति–किराड़, निवासी–सेमली, पुलिस थाना–कस्बाथाना, जिला–बारां (बं.खु.शि. कोटा) :–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक) जिला बारां के सेशन प्रकरण संख्या 36/2005 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 13.07.2007 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 08 माह 05 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 05 माह 26 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 05 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज कल्याण विभाग, बारां के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज

कल्याण विभाग, बारां के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **विनोद पुत्र बुद्धू** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज कल्याण विभाग, बारां के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

6. **विशम्बर दयाल पुत्र मलूराम, जाति–रेगर, निवासी–नोहर, पुलिस थाना–नोहर, जिला–हनुमानगढ़ (के.का.बीकानेर) :–** बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, नोहर के सेशन प्रकरण संख्या 42/1995 अंतर्गत धारा 302, 450, 380 आई.पी.सी में दिनांक 11.04.1996 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे बीकानेर के प्रकरण संख्या 100/1999 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी में दिनांक 06.04.2009 को 02 वर्ष कठोर कारावास।
3. माननीय जे.एम. प्रथम वर्ग तिजारा, अलवर के प्रकरण संख्या 68/2013 अंतर्गत धारा 407, 420, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2013 को 03 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 03 माह 15 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 04 माह 08 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 01 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं समाज कल्याण विभाग, हनुमानगढ़ के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं समाज कल्याण विभाग, हनुमानगढ़ के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **विशम्बर दयाल पुत्र मलूराम** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़

एवं समाज कल्याण विभाग, हनुमानगढ़ के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

7. **महावीर पुत्र कल्लाराम, जाति–माली, निवासी–ढाकावाल ढाणी तन चिराना, पुलिस थाना–उदयपुरवाटी, जिला–झुंझुनू (के.का.बीकानेर)** :– बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02 झुंझुनू के सेशन प्रकरण संख्या 57/2012 (179/2010) अंतर्गत धारा 147, 148, 447, 302/149 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 07.04.2014 को दण्डित किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 548/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2018 द्वारा बंदी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर धारा 302/149 में आजीवन कारावास के स्थान पर 304 पार्ट–I आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 08 वर्ष 09 माह 20 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 08 माह 18 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू एवं समाज कल्याण विभाग, झुंझुनू के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 24.05.2019 एवं 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू एवं समाज कल्याण विभाग, झुंझुनू के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **महावीर पुत्र कल्लाराम** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू एवं समाज कल्याण विभाग, झुंझुनू के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

8. **मोहन लाल पुत्र गगनदास, जाति–सिंधी, निवासी–अ.एस./716 जे.डी.ए. कॉलोनी, नारदपुरा, पुलिस थाना–आमेर, जिला–जयपुर (बं.खु.शि. सांगानेर)** :– बंदी को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 03/2004 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 17.07.2004 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 15 वर्ष 09 माह 11 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 01 माह 24 दिवस का परिहार अर्जित किया है। जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति द्वारा नियमित पैरोल अस्वीकृत किये जाने से बंदी द्वारा नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अभिनत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मोहन लाल पुत्र गगनदास** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

9. **सुनीता पत्नी गोरधन उर्फ गोरधन सोनी, जाति–सोनी, निवासी–गली नं. 02 बलदेव नगर के सामने, गांधी नगर चोरसियावास रोड़, पुलिस थाना–क्रिश्चियनगंज, जिला–अजमेर, हाल–म.नं. डी–104, शिवमंदिर के सामने, गोरधनपुरी, ऋषि गालव नगर, पुलिस थाना–गलता गेट, जिला–जयपुर (बं.खु.शि. सांगानेर) :–** महिला बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक संख्या 01 अजमेर के सेशन प्रकरण संख्या 66/2004 अंतर्गत धारा 302, 203 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 21.07.2005 को दण्डित किया गया है। महिला बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 04 माह की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 11 माह 19 दिवस का परिहार अर्जित किया है। महिला बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

महिला बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से महिला बंदी **सुनीता पत्नी गोरधन उर्फ गोरधन सोनी** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

10. **रामेश्वर उर्फ होड़ला पुत्र भूराराम, जाति–मीणा, निवासी–आमली की ढाणी तन वाटिका, सांगानेर, पुलिस थाना–सांगानेर, जिला–जयपुर (के.का. जयपुर) :–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम–1 जयपुर जिला जयपुर के सेशन प्रकरण संख्या 79/2004 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक

03.08.2005 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 15 वर्ष 21 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 11 माह 19 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी के नियमित पैरोल प्रकरण के निस्तारण के संबंध में सजाभिलेख में कोई अंकन नहीं है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर (पूर्व) के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर (पूर्व) के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **रामेश्वर उर्फ होड़ला पुत्र भूराराम** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

11. **उदयवीर उर्फ मकोय पुत्र रामफल, जाति—जाट, निवासी—दिलालपुर, पुलिस थाना—बरला, जिला—अलीगढ़ (उ.प्र.) (के.का. जयपुर) :—** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम—1 जयपुर महानगर के सेशन प्रकरण संख्या 07/2007 अंतर्गत धारा 302/120बी, 201/120बी, 364/120बी, 397/120बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 25.02.2019 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 15 वर्ष 16 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 04 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी का प्रथम नियमित पैरोल, जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति के समक्ष लंबित है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ (उ.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ (उ.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, अलीगढ़ (उ.प्र.) के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ (उ.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ (उ.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, अलीगढ़ (उ.प्र.) के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **उदयवीर उर्फ मकोय पुत्र रामफल** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ (उ.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक,

अलीगढ़ (उ.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, अलीगढ़ (उ.प्र.) के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

12. **गोपाल पुत्र हरजीराम बागरिया, जाति–बागरिया, निवासी–साखून, पुलिस थाना–नरेना, तहसी–दूदू, जिला–जयपुर (के.का. जयपुर) :–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) नं. 01 जयपुर शहर जयपुर के सेशन प्रकरण संख्या 78/2005 अंतर्गत धारा 302, 363, 376, 201 आई.पी.सी. में मृत्युदण्ड की सजा से दिनांक 29.08.2005 को दण्डित किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में दायर डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 846/2005 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2005 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दी गई मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर भुगती गई सजा को सम्मिलित करते हुए बंदी द्वारा 20 वर्ष की सजा पूर्ण होने से पूर्व जेल से रिहा नहीं करने के निर्देश दिये गये है साथ ही बंदी को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अवसरों पर देय परिहार का लाभ नहीं दिये जाने हेतु भी आदेशित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 04 माह 25 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बंदी को परिहार का लाभ नहीं दिया गया है। बंदी द्वारा 02 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **गोपाल पुत्र हरजीराम बागरिया** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

13. **समय सिंह पुत्र रमसल्ली उर्फ रामसहाय, जाति–गुर्जर, निवासी–लपावली, पुलिस थाना–बालघाट, हाल– पुलिस थाना–टोड़ाभीम, जिला–करौली (बं.खु.शि. सांगानेर) :–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, बांदीकुई, जिला दौसा के सेशन प्रकरण संख्या 11/2006 अंतर्गत धारा 148, 307/149, 302 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 09.03.2013 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक

15.07.2019 तक 14 वर्ष 11 माह 19 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 03 माह 20 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 01 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में समाज कल्याण विभाग, करौली का अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समाज कल्याण विभाग, करौली का अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **समय सिंह पुत्र रमसल्ली उर्फ रामसहाय** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, करौली का अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

14. **मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद ईशाक, जाति–मुसलमान, निवासी–मुरादाबाद (उ.प्र.), हाल–ए–1–478, जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नं. 0 आजाद नगर मस्जिद के पास, पुलिस थाना–ट्रांसपोर्ट नगर, जिला–जयपुर (के.का. जयपुर)** :– बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न दहेज प्रकरण) एवं अपर सेशन न्यायाधीश, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 41/2004 अंतर्गत धारा 498, 304 बी आई.पी.सी. आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 01.04.2006 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 15 वर्ष 03 माह 27 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 02 माह 12 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 02 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद ईशाक** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, जयपुर का अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

15. **चन्द्रपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह, जाति–दरोगा, निवासी–बगडोदा, पुलिस थाना–फतेहपुर शेखावाटी, जिला–सीकर (बं.खु.शि. सांगानेर) :–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक), सीकर के सेशन प्रकरण संख्या 18/2005 अंतर्गत धारा 302, 323, 341 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 24.08.2005 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 15 वर्ष 12 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 03 वर्ष 01 माह 27 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 05 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में समाज कल्याण विभाग, सीकर का अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समाज कल्याण विभाग, सीकर का अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **चन्द्रपाल सिंह पुत्र दयाल सिंह** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, सीकर का अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

16. **मान बहादुर उर्फ मोहनसिंह उर्फ मुन्ना पुत्र होम बहादुर थापा, जाति–थापा, निवासी–पाली टोला, पुलिस थाना–अलीगंज, जिला–लखनऊ (उ.प्र.) (बं.खु.शि. सांगानेर) :–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम संख्या 02 सीकर के सेशन प्रकरण संख्या 18/2003 अंतर्गत धारा 302, 449, 457, 380, 279 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 10.02.2004 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 16 वर्ष 05 माह 26 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 03 वर्ष 06 माह 05 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी के नियमित पैरोल प्रकरण के निस्तारण के संबंध में सजाभिलेख में कोई अंकन नहीं है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में समाज कल्याण विभाग, लखनऊ (उ.प्र.) का अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समाज कल्याण विभाग, लखनऊ (उ.प्र.) का अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मान बहादुर उर्फ मोहनसिंह उर्फ मुन्ना पुत्र होम बहादुर थापा** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग,

लखनऊ (उ.प्र.) का अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

17. **मोहसीन खान उर्फ मुन्ना उर्फ मुश्तर उर्फ मुश्ताक पुत्र इमरान खान उर्फ अहमद हुसैन उर्फ मोहम्मद हुसैन, जाति–मुसलमान, निवासी–म.नं. 35/25 साउथ–तोड़ा प्रेमसुख रानीज के पीछे, पुलिस थाना–रावजी बाजार, जिला–इन्दौर (म.प्र.) (बं.खु.शि. सांगानेर) :–** बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–

1. माननीय सैशन न्यायाधीश, टोंक द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 63/1998 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 26.07.2001 को आजीवन कारावास।
2. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण संख्या 205/1997 अंतर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी. में दिनांक 13.08.2002 को आजीवन कारावास।

बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 20 वर्ष 11 माह 23 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 04 वर्ष 05 माह 13 दिवस का परिहार अर्जित किया है। नियमित पैरोल हेतु प्रस्तुत आवेदन जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति, अजमेर द्वारा अस्वीकृत करने से बंदी द्वारा नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, इन्दौर (म.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक, इन्दौर (म.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, इन्दौर (म.प्र.) के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, इन्दौर (म.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक, इन्दौर (म.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, इन्दौर (म.प्र.) के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मोहसीन खान उर्फ मुन्ना उर्फ मुश्तर उर्फ मुश्ताक पुत्र इमरान खान उर्फ अहमद हुसैन उर्फ मोहम्मद हुसैन** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, इन्दौर (म.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक, इन्दौर (म.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, इन्दौर (म.प्र.) के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

18. **गुन्ना उर्फ गनी उर्फ रामवीर पुत्र सरदार सिंह, जाति–गुर्जर, निवासी–मोरड़ा, पुलिस थाना–बालघाट, तहसील–टोडाभीम, जिला–करौली (के.का. जयपुर) :–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, बांदीकुई जिला–दौसा के सेशन प्रकरण संख्या 30/2011 अंतर्गत धारा 366, 366ए, 376 (2) (जी), 120बी आई.पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दिनांक

11.02.2015 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 08 वर्ष 04 माह 02 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में समाज कल्याण विभाग, करौली का अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में समाज कल्याण विभाग, करौली का अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **गुन्ना उर्फ गनी उर्फ रामवीर पुत्र सरदार सिंह** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, करौली का अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

19. **सलीम खां पुत्र अल्लाद्दीन खां, जाति–मुसलमान, निवासी–मुडाखेड़ा, पुलिस थाना–खोजा देहात, जिला–बुलंदशहर (उ.प्र.) (के.का. जयपुर) :–** बंदी को माननीय अपर सैशन न्यायाधीश, बांदीकुई जिला दौसा के सेशन प्रकरण संख्या 19/2011 अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 06.07.2016 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 08 वर्ष 04 माह 18 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 07 माह 14 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा नियमित पैरोल हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर (उ.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर (उ.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, बुलंदशहर (उ.प्र.) के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर (उ.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर (उ.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, बुलंदशहर (उ.प्र.) के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **सलीम खां पुत्र अल्लाद्दीन खां** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर (उ.प्र.), जिला पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर (उ.प्र.) एवं समाज कल्याण विभाग, बुलंदशहर (उ.प्र.) के अभिमत अधीक्षक,

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

20. **हीरालाल पुत्र रामलाल उर्फ श्यामलाल, जाति–रैंगर, निवासी–साईवाड़ बाड़ी जोड़ी, पुलिस थाना–शाहपुरा, जिला–जयपुर (के.का. जयपुर)** :– बंदी को माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण संख्या 02 जयपुर महानगर के प्रकरण संख्या 81/2015 अंतर्गत धारा 376 (2) (च) आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 10.08.2015 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 08 वर्ष 04 माह 13 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 06 माह का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा जमानत तस्दीक कराने के अभाव में प्रथम नियमित पैरोल का उपभोग नहीं किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **हीरालाल पुत्र रामलाल उर्फ श्यामलाल** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं समाज कल्याण विभाग, जयपुर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

21. **मोहम्मद रमजानी पुत्र चाँद खां उर्फ अब्दुल समद, जाति–मुसलमान, निवासी–तालाब पाड़ा बारां, पुलिस थाना–बारां, जिला–बारां (बं.खु.शि. कोटा)** :– बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के सेशन प्रकरण संख्या 34/2005 अंतर्गत धारा 302, 460, 382 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 23.11.2006 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 02 माह 15 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 06 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज कल्याण विभाग, बारां के अभिमत प्राप्त नहीं होने से दिनांक 14.06.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय पैरोल समिति की बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज कल्याण विभाग, बारां के अप्राप्त अभिमत प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, किंतु वांछित अभिमत बैठक तिथि तक प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मोहम्मद रमजानी पुत्र चाँद खां उर्फ अब्दुल समद** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, बारां एवं समाज कल्याण विभाग, बारां के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

22. **राहुल त्यागी पुत्र देवेन्द्र कुमार त्यागी, जाति–ब्राह्मण, निवासी–246, सिविल लाईन्स, जिला–मुजफ्फर नगर (उ.प्र.), हाल–ए–1 ऋषिकेश टॉवर, आशुतोष नगर, ऋषिकेश, जिला–देहरादून (उत्तराखण्ड) (बं.खु.शि. अलवर):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–5, कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 32/2012 अंतर्गत धारा 120 बी, 364/120बी, 344, 328 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 02.08.2014 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 14 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 10 माह 06 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 01 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में समाज कल्याण विभाग, देहरादून (उत्तराखण्ड) का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **राहुल त्यागी पुत्र देवेन्द्र कुमार त्यागी** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, देहरादून (उत्तराखण्ड) का अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अलवर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

23. **रामलाल पुत्र अमराराम, जाति–जाट, निवासी–सिंजगुरू, पुलिस थाना–नोखा, जिला–बीकानेर (बं.खु.शि. बीछवाल):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं. 2, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 68/2005 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. 25, 27 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास से दिनांक 23.05.2006 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 14 वर्ष 01 माह 28 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 02 वर्ष 03 माह 04 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 05 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर एवं समाज कल्याण विभाग, बीकानेर के अभिमत प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **रामलाल पुत्र अमराराम** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर एवं समाज कल्याण विभाग, बीकानेर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

24. **मानसिंह पुत्र लौहरे, जाति–जाटव, निवासी–अवार, पुलिस थाना–कुम्हेर, जिला–भरतपुर (बं.खु.शि. भरतपुर):–** बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 65/2012 अंतर्गत धारा 302, 148, 341/149, 323/149, 325/149 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 05.06.2015 को दण्डित किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में दायर अपील संख्या 534/2015 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2017 द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 302 आई.पी. सी. के स्थान पर 304 पार्ट–01 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा शेष धाराओं की सजाओं को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 08 वर्ष 10 माह 01 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 09 माह 13 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर एवं समाज कल्याण विभाग, भरतपुर के अभिमत प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मानसिंह पुत्र लौहरे** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर एवं समाज कल्याण विभाग, भरतपुर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

25. **मुनेश पुत्र हुब्बलाल, जाति–निषाद, निवासी–अंधियारी, पुलिस थाना–दिहौली, जिला–धौलपुर (के.का. भरतपुर) :–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, धौलपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 118/2012 अंतर्गत धारा 304बी, 498ए आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 30.09.2014 को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 07 वर्ष 01 माह 15 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 02 माह 10 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर एवं समाज कल्याण विभाग, धौलपुर के अभिमत प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **मुनेश पुत्र हुब्बलाल** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर एवं समाज कल्याण विभाग, धौलपुर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

26. **रामसिंह पुत्र रिछपाल, जाति–जाटव, निवासी–सीकरी, पुलिस थाना–सीकरी, जिला–भरतपुर (के.का.भरतपुर):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं. 5, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 14/2004 अंतर्गत धारा 304बी, 498ए, आई. पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 20.04.2005 (प्रभावी दिनांक 25.06.2013) को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 07 वर्ष 01 माह 15 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 04 माह 16 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर एवं समाज कल्याण विभाग, भरतपुर के अभिमत प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **रामसिंह पुत्र रिछपाल** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर एवं समाज कल्याण विभाग, भरतपुर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

27. **किशोरी पुत्र रामसिंह, जाति–जाटव, निवासी–सीकरी, पुलिस थाना–सीकरी, जिला–भरतपुर (के.का. भरतपुर):–** बंदी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं. 5, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 14/2004 अंतर्गत धारा 304बी, 498ए, आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दिनांक 20.04.2005 (प्रभावी दिनांक 25.06.2013) को दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 06 वर्ष 11 माह 13 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 01 वर्ष 04 माह 16 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर एवं समाज कल्याण विभाग, भरतपुर के अभिमत प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **किशोरी पुत्र रामसिंह** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर, जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर एवं समाज कल्याण विभाग, भरतपुर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

28. **यादराम पुत्र झण्डू, जाति–मीणा, निवासी–भनोखर, पुलिस थाना–खेरली, जिला–अलवर (के.का.भरतपुर):–** बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 53/2011 अंतर्गत धारा 302, 148, 325/149, 324/149, 323, 452 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दिनांक 12.06.2012 को दण्डित

किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में दायर अपील संख्या 581/2012 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2015 द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. के स्थान पर 304 पार्ट–01 में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा शेष धाराओं की सजाओं को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 15.07.2019 तक 07 वर्ष 08 माह 12 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगत ली है तथा 11 माह 21 दिवस का परिहार अर्जित किया है। बंदी द्वारा 03 नियमित पैरोल का उपभोग किया गया है।

बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबध में जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर एवं समाज कल्याण विभाग, अलवर के अभिमत प्राप्त नहीं हुए है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **यादराम पुत्र झण्डू** को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर एवं समाज कल्याण विभाग, अलवर के अभिमत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।